



यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ, 226 001  
CIN: U31901UP1985SGC007135

पत्रांक: 1967-औ०सं०/उनिलि/2024-53(21-ए)/औ०सं०/2024

दिनांक: 26/11/2024

मुख्य महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रमुख (अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/जवाहरपुर) तापीय परियोजना  
मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम/जानपद नव परियोजना/तापीय परिचालन/प्रगति/ईंधन/वाणिज्य/  
पर्या० एवं सुरक्षा/आर० एण्ड एम०/न्यू कोल ब्लॉक/मा० सं०) उनिलि, लखनऊ।  
मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/ महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), जल विद्युत इकाई, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।  
अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत मण्डल/खण्ड, पिपरी/ओबरा/माताटीला/खारा/मुजफ्फरनगर।  
कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


विषय:- उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

निगम मुख्यालय के पूर्व पत्र सं० 784-औ०सं०/उनिलि/2024-53(21-ए)/औ०सं०/2024 दिनांक 15.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कट करें जिसके साथ शासनादेश सं० 814/24-पी-2-24 दिनांक 04.07.2024 की प्रति संलग्न करते हुये उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त अनुभागों/इकाईयों/परियोजनाओं को 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध किये जाने के संबंध में सभी कर्मचारियों को अनुपालनार्थ अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु सभी कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

  
(अशोक कुमार सेठ) 26/11/24

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या: /औ०सं०/उनिलि/2024-53(21-ए)/औ०सं०/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव/शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक ((वित्त)/तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(अशोक कुमार सेठ)

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 784-औ०सं०/उनिलि/2024-53(21-ए)/औ०सं०/2024

दिनांक: 15/07/2024

मुख्य महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर) तापीय परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०,  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), (मा०सं०/तापीय परिचालन/पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/  
आर०एण्ड एम०/प्रगति/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक उनिलि, लखनऊ।

कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/टावासे/प्रशि०/रिफार्म) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-02/लेखा/वित्त/लेखा एवं प्रशा०) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय:- उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव ऊर्जा के अधिसूचना सं० 814/24-पी-2-24 दिनांक 04.07.2024 (प्रतिसंलग्न) का संदर्भ ग्रहण करना चाहे, जिसके अनुसार सूचित किया है कि उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सहित सभी ऊर्जा निगमों के आधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दिया है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में सभी कार्मिकों को सूचित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार सेठ)

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

संख्या: 784 / औ०सं० / उनिलि / 2024-53(21-ए) / औ०सं० / 2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक) / (वित्त) / (तकनीकी) / (परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (मा०सं०), जल विद्युत ईकाई, शक्ति भवन, उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(अशोक कुमार सेठ)

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

All Directors, UMC/TCL/SLDC

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-814-24-पी-2-24

लखनऊ:दिनांक 04 जुलाई, 2024

(रणवीर प्रसाद)

प्रबन्ध निदेशक

उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०/UMC

अधिसूचना

आदेश

3662

9/7/2024

पंजी० सं० 762

पत्रावली सं० 2(26)

दिनांक 09-07-24

उत्तर प्रदेश शासन/ऊर्जा/अनुभाग-2/2024

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

(संजय शुक्ला)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.07.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मीटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

संयुक्त सचिव

No. .... Dir. (P.M. & A)/UNL

In Date. 06/07/24

Out Date.....

CE (HR)

DGM (IR)

इस सभी को Circulate

करे।

8/7/24

8/7/24

(शकेश प्रसाद)

निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०)

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि०

No. 337 MDA/PTCL  
Date: 06/07/24

Dir (P.M. & A)  
UMC

SPO (IR)  
For circulation in all  
units of UMC  
8/7/24

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 814/24-P-2-2024, Dated 04.07.2024

UTTAR PRADESH SHASAN  
URJA ANUBHAG-2  
No. 814/24-P-2-2024  
Lucknow: Dated 04.07.2024


### Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,



(SANJAY SHUKLA)  
JOINT SECRETARY